रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082023-248099
CG-DL-E-14082023-248099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त, 14, 2023/श्रावण 23, 1945
No. 473]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST, 14, 2023/SHRAVANA 23, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 603(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में कलाकार श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कलाकार श्रेणी-I, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि :** उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या गैर-चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
कलाकार ग्रेड 1	29 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (रू. 35400-112400/-)	लागू नहीं होगा।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मं समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दे सकेगी)। **टिप्पण:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**अनिवार्य:** **अर्हता:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला या वाणिज्यिक कला में डिग्री; अथवा ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला या वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा। **टिप्पणी:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित में कारण देते हुए, शिथिल की जा सकती है।

8	9	10	11
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिणिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, विभिन्न पद्धतियों चाहे सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/या आमेलन समावेशन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन श्रेणियों द्वारा भर्ती की स्थिति जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**
आयु: लागू नहीं होता	दो वर्ष **टिप्पणी:** परिवीक्षा अवधि की पूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित किए अनुसार, सीधे भर्ती होने वालों को न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य होगा।	7. सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदग्राहियों के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक की अवधि तक कार्य से दूर रहने के कारण हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से भरा जाएगा जो: (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् स्तर-5 के पदों पर छः वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों; और ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अर्हता और अनुभव धारण करते हों।	लागू नहीं होता।

12	13
यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
<u>विभागीय प्रोन्नति समिति</u>: (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): लागू नहीं होता। **<u>विभागीय पुष्टीकरण समिति</u> (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- अध्यक्ष 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- सदस्य 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- सदस्य	

[फा. सं. 01/01/2020-सीएसजेड]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2023

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist Grade I in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Artist Grade I, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay level in the pay matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Artist Grade I	29 (2023)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-Rs. 112400) in the pay matrix	Not applicable.	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission.	**Essential:** (i) Degree in Fine Arts or Commercial Art from a recognized University or institution; or (ii) Diploma in Fine Arts or Commercial Art from a recognized University or institution. **Note:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by Promotion or Deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years Note: Direct recruits shall be required to successfully complete an induction training of at least two weeks duration, as specified by the competent authority, for completion of probation.	By direct recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbents, being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled up on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in post in Level-5 rendered after appointment thereto on regular basis; and (b) possessing the qualification and experience as prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for consideration of promotion): Not applicable Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata- Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata- Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. 01/01/2020-CSZ]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.14 22:27:04 +05'30'